



**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
**PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G.ROAD, NEW DELHI**  
**(HEADQUARTERS OFFICE)**

No.A-40/12/Misc.//2015-A/Cs.IV

Date: 11-1-18

To,

All Head of Offices,  
Regional Offices/Model Hospitals/SRO's  
D(M)D/D(M)Noida/JD(E-V/Hqrs.)

**Sub:- Implementation of Government's decision on the recommendations of the 7<sup>th</sup> CPC-Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.**

Sir,

Kindly refer to this office Email of even number dated 20.11.2017 on the above subject.

You are requested to furnish the details of each pending cases for revision of pension as per 7<sup>th</sup> CPC in the following proforma by return E-mail.

S.I. No.	Name of the Pensioner	Proposed date of Revision	Remarks, if any

The same is required to be placed before the committee of the Senior officers for their perusal.

Yours faithfully,

  
(R.S. Srivastava)  
Director(Fin.)

Copy to:-

1. All Dy. Director(Fin.) for necessary action.
2. Website Content Manager with the request to upload the same on the website of ESIC.



मुख्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, सी. आइ. जी. मार्ग, नई दिल्ली -110002

संख्या:ए-40/12/विविध/2015- लेखा-4

दिनांक: 11/01/2018

सेवा में,

सभी प्रभागीय प्रमुख

क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय/ आदर्श अस्पताल

नि.(चि.), दिल्ली/ नि. (चि.), नोएडा/ संयुक्त निदेशक(स्था.-5), मुख्यालय


विषय:- 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन- वर्ष 2016 पूर्व पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन का परिशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक ईमेल संख्या, दिनांक 20.11.2017 का संदर्भ लें। आपसे अनुरोध है कि 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पेंशन के परिशोधन के लिए प्रत्येक लंबित मामले का ब्यौरा लौटती ईमेल से निम्नलिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।


क्रम संख्या	पेंशनभोगी का नाम	परिशोधन की प्रस्तावित तिथि	अभ्युक्तियाँ, यदि कोई हो

इसे वरिष्ठ अधिकारियों की समिति के समक्ष पटल पर उनके अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

  
(आर. एस. श्रीवास्तव)  
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. सभी उप निदेशक(वित्त)को सूचनार्थ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क. रा. बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

  
निदेशक (वित्त)